तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बुद्धासिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, ग्राम–बाबरा, तहसील–रायपुर, जिला पाली (राज.) 306101 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 65/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/227 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

15/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 22.7.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./विविध/2021/305 दिनांक 23.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र 22.07.2021 उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। इस बाबत अपीलार्थी को इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/1617 दिनांक 25.10.2021 के अवगत कराया जा चूका है। तथा अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित भी नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली